

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 356]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 4 अगस्त 2012—श्रावण 13, शक 1934

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2012

क्र. एफ 1-32-2010-बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग शैक्षणिक सेवा (अमहाविद्यालयेत्तर सेवा) भरती तथा पदोन्नति नियम, 1973 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में—

(1) अनुसूची-एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“अनुसूची”—एक
(नियम-5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	स्थायी सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या	वेतनमान	नियुक्तकर्ता अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1 व्याख्याता :

1	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	4,667	9300—34800+3600 (ग्रे.पे.)	आयुक्त, लोक शिक्षण.
2	बुनियादी प्रशिक्षण संस्थायें	140		
3	पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्था	4		
4	संस्कृत उच्च विद्यालय	13		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	कैरियर मास्टर	87	9300—34800+3600 (ग्रे.पे.)	आयुक्त, लोक शिक्षण.
3	शिक्षक पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्था, जबलपुर.	1	9300—34800+3200 (ग्रे.पे.)	संचालक, लोक शिक्षण.
4	सहायक जिला शाला निरीक्षक/प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय.	9052	9300—34800+3600 (ग्रे.पे.)	जिला कलेक्टर.
5	उच्च श्रेणी शिक्षक, शिक्षक/निर्देशक, शिक्षा महाविद्यालय.	22,771	9300—34800+3200 (ग्रे.पे.)	जिला कलेक्टर.
6	उद्योग शिक्षक, बुनियादी प्रशिक्षण संस्था/ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय.	913	9300—34800+3200 (ग्रे.पे.)	जिला कलेक्टर.
7	संगीत शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	138	9300—34800+3200 (ग्रे.पे.)	जिला कलेक्टर.
8	प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शाला	8639	9300—34800+3200 (ग्रे.पे.)	जिला शिक्षा अधिकारी.
9	निम्न श्रेणी शिक्षक (प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय संस्कृत शालायें)	99714	5200—20200+2400 (ग्रे.पे.)	जिला शिक्षा अधिकारी.
10	संगीत शिक्षक/तबला शिक्षक	210	5200—20200+2400 (ग्रे.पे.)	जिला कलेक्टर.
शारीरिक शिक्षा :				
11	व्याख्याता, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय	07	9300—34800+3600 (ग्रे.पे.)	संचालक, लोक शिक्षण.
12 व्यायाम निर्देशक :				
1	शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी (उच्च वेतनमान)	04	9300—34800+3200 (ग्रे.पे.)	संचालक, लोक शिक्षण.
2	बड़े उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (उच्च वेतनमान)	24	9300—34800+3200 (ग्रे.पे.)	-तदैव-
3	जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक	38	9300—34800+3200 (ग्रे.पे.)	-तदैव-
4	बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाएं (निम्न वेतनमान)	36	5200—20200+2400 (ग्रे.पे.)	-तदैव-
5	उ. मा. वि. (निम्न वेतनमान)	728	5200—20200+2400 (ग्रे.पे.)	-तदैव-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	पुस्तकालय :			
	ग्रन्थपाल :			
1	शिक्षा महाविद्यालय	10	5200—20200+2800 (ग्रे.पे.)	संचालक, लोक शिक्षण.
2	मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय	01	5200—20200+2800 (ग्रे.पे.)	-तदैव-
3	शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय	01	5200—20200+2800 (ग्रे.पे.)	-तदैव-
4	क्षेत्रीय ग्रंथपाल	05	15600—39100+5400 (ग्रे.पे.)	-तदैव-
5	ग्रंथपाल (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उच्च एवं निम्न वेतनमान)	152	5200—20200+2800 (ग्रे.पे.) (उपाधि हेतु)	-तदैव-
6	जिला ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान)	24	5200—20200+2100 (ग्रे.पे.) (पत्रोपाधि)	-तदैव-
	दृश्य श्रव्य शिक्षा :			
14	निर्देशक, दृश्य श्रव्य शिक्षा	04	9300—34800+3200 (ग्रे.पे.)	संचालक लोक शिक्षण.
15	पर्यवेक्षक, दृश्य श्रव्य शिक्षा	01	9300—34800+3200 (ग्रे.पे.)	-तदैव-
16	संगठन, दृश्य श्रव्य शिक्षा	01	5200—20200+2800 (ग्रे.पे.)	-तदैव-
17	सहायक (एड्स) दृश्य श्रव्य शिक्षा	02	5200—20200+2800 (ग्रे.पे.)	-तदैव-
18	आपरेटर, दृश्य श्रव्य शिक्षा	01	5200—20200+2400 (ग्रे.पे.)	-तदैव-
19	सांख्यिकी सहायक, शिक्षा मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय/संचालक, लोक शिक्षण.	52	5200—20200+2800 (ग्रे.पे.)	-तदैव-
20	जीवाजी वैद्यशाला :			
1	सहायक अधीक्षक	01	5200—20200+2400 (ग्रे.पे.)	संचालक लोक शिक्षण.
2	आब्जरवर	02	5200—20200+2400 (ग्रे.पे.)	-तदैव-
3	कम्प्यूटर	01	5200—20200+2400 (ग्रे.पे.)	-तदैव-
4	मुख्य केलकुलेटर	01	5200—20200+2400 (ग्रे.पे.)	-तदैव-
5	शिक्षक एवं केलकुलेटर	01	5200—20200+2400 (ग्रे.पे.)	-तदैव-
6	सहायक केलकुलेटर	01	5200—20200+2400 (ग्रे.पे.)	-तदैव-
21	सहायक. शिक्षक (विज्ञान)	932	5200—20200+2400 (ग्रे.पे.)	जिला शिक्षा अधिकारी.

- (2) अनुसूची-दो में कॉलम (2) में, अनुक्रमांक 19 शीर्षक शासकीय सुधारालय तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.
- (3) अनुसूची-तीन में कॉलम (2) में अनुक्रमांक 15 शासकीय सुधारालय सिवनी तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.
- (4) (एक) अनुसूची-चार में कॉलम (2) में अनुक्रमांक (2-क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

स.क्र.	उस सेवा अथवा पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है.	उस सेवा अथवा पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है.	पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“(2-क)	सहायक शिक्षक	उच्च श्रेणी शिक्षक (गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा).	गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा (अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत एवं उर्दू) विषय समूह में स्नातक तथा शिक्षक प्रशिक्षण एवं पांच वर्ष का अध्यापन का अनुभव.	1. कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा नाम-निर्दिष्ट अधिकारी—अध्यक्ष. 2. जिला शिक्षा अधिकारी—सदस्य 3. सहायक संचालक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी—सदस्य सचिव. 4. प्राचार्य उ. मा. वि.—सदस्य.

(दो) विद्यमान टिप्पणी को क्रमांक (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक अन्तः स्थापित किए जाए, अर्थात्:—

- (2) सहायक शिक्षकों की पदक्रम सूची जिला स्तर पर विषय समूहवार रूप में—गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, (अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत एवं उर्दू) विषय समूह अनुसार पृथक् से तथा सहायक शिक्षकों की एक समेकित पदक्रम सूची के साथ पृथक्-पृथक् संधारित की जाएगी शिक्षक के पद पर इस पदक्रम सूची का उपयोग विषय समूहवार पदोन्नति हेतु किया जाएगा.
- (3) जिला एवं राज्य स्तर पर शिक्षक संवर्ग की समेकित पदक्रम सूची सहायक शिक्षक के पद पर वरिष्ठता के अनुसार संधारित की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गीता मिश्रा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2012

क्र. एफ 1-32-2010-बीस-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-32/2010-बीस-1, दिनांक 3 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गीता मिश्रा, अपर सचिव.

Bhopal, the 3rd August 2012

No. F 1-32/2010/XX-1.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Non-Gazetted Class III Education Service (Non-Collegiate Services) Recruitment and Promotion Rules 1973, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules :—

(1) for Schedule-I, the following schedule shall be substituted namely:—

SCHEDULE-I

(see rule 5)

Classification of service, scale of pay and number of post included in the service.

S. No.	Name of the posts included in the service	No. of permanent posts	Pay-Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lecturer :			
1	Higher Secondary School	4,667	9300—34800+3600 (GP)	Commissioner, Public Instruction.
2	Basic Training Institutes	140		
3	Pre-primary training Institute	4		
4	Sanskrit High School	13		
2	Career Master	87	9300—34800+3600 (GP)	Commissioner, Public Instruction.
3	Teacher Pre-primary training Institute Jabalpur.	1	9300—34800+3200 (GP)	Director, Public Instruction.
4	Asst. District Inspector of School/ Head Master, Middle School.	9052	9300—34800+3600 (GP)	District Collector
5	Upper Division Teacher, Teacher / Instructor, College of Education.	22,771	9300—34800+3200 (GP)	District Collector
6	Udhyog Teacher, Basic Training Institute/ Higher Secondary School.	913	9300—34800+3200 (GP)	District Collector
7	Music Teacher, Higher Secondary School.	138	9300—34800+3200 (GP)	District Collector
8	Head Master, Primary School	8,639	9300—34800+3200 (GP)	District Education Officer.
9	Lower Division Teacher (Primary School, Middle School, Sanskrit School).	99,714	5200—20200+2400 (GP)	District Education Officer.
10	Music Teacher/Tabla Teacher	210	5200—20200+2400 (GP)	District Collector

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Physical Education:				
11	Lecturer, College of Physical Education.	07	9300—34800+3600 (GP)	Director, Public Instruction.
12	Physical Training Instructor			
1	College of Physical Education, Shivpuri (Higher pay scale).	04	9300—34800+3200 (GP)	Director, Public Instruction.
2	Big Higher Secondary Schools (Higher pay scale).	24	9300—34800+3200 (GP)	-do-
3	District Sports and Welfare Inspector.	38	9300—34800+3200 (GP)	-do-
4	Basic Training Institutes (Lower pay scale).	36	5200—20200+2400 (GP)	-do-
5	Higher Secondary School (Lower pay scale).	728	5200—20200+2400 (GP)	-do-
13.	Library:—			
Librarian :				
1	College of Education	10	5200—20200+2800 (GP)	Director, Public Instruction.
2	College of Psychology and Guidance.	01	5200—20200+2800 (GP)	-do-
3	College of Physical Education	01	5200—20200+2800 (GP)	-do-
4	Regional Librarian	05	15600—39100+5400 (GP)	-do-
5	Librarian (Higher Secondary School, Higher & Lower pay scales).	152	5200—20200+2800 (GP) (For Degree holders).	-do-
6	District Librarian (Higher pay scale).	24	5200—20200+2100 (GP) (For Diploma holders).	-do-
Audio-Visual Education:				
14	Instructor, Audio-Visual Education	04	9300—34800+3200 (GP)	Director, Public Instruction.
15	Supervisor, Audio-Visual Education	01	9300—34800+3200 (GP)	-do-
16	Organiser, Audio-Visual Education	01	5200—20200+2800 (GP)	-do-
17	Assistant(Aids)Audio-Visual Education	02	5200—20200+2800 (GP)	-do-
18	Operator, Audio-Visual Education	01	5200—20200+2400 (GP)	-do-
19	Statistical Assistant, College of Psychology and guidance/ Director, Public Instruction.	52	5200—20200+2800 (GP)	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20. Jiwaji Observatory :				
1	Assistant Superintendent	01	5200—20200+2400 (GP)	Director, Public Instruction.
2	Observer	02	5200—20200+2400 (GP)	-do-
3	Computer	01	5200—20200+2400 (GP)	-do-
4	Chief Calculator	01	5200—20200+2400 (GP)	-do-
5	Teacher & Calculator	01	5200—20200+2400 (GP)	-do-
6	Assistant Calculator	01	5200—20200+2400 (GP)	-do-

- 21. Assistant Teacher (Science)-** 932 5200—20200+2400 (GP) District Education Officer.
- (2) In Schedule-II in Column (2) S. No. 19 Headings GOVERNMENT REFORMATORY and entries relating there to shall be omitted—
- (3) In Schedule-III in Column (2) S.NO. 15 GOVERNMENT REFORMATORY SEONI and entries relating there to shall be omitted—
- (4) (i) In Schedule-IV in Column (2) For S.NO. (2-A) and entries relating thereto the following S.No and entries relating thereto shall be substituted namely—

S. No.	Name of service or Post from which promotion is to be made	Name of the service or post to which promotion is to be made	Qualification and experience require for the promotion	Members of the Departmental promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“(2-A)”	Assistant Teacher	Upper Division Teacher (Mathematics, Science, Social Science and Language).	Graduate in Subject Groups with Mathematics, Science, Social Science and language (English, Hindi, Sanskrit and Urdu) with teacher training and five year Teaching Experience.	1. Collector or Officer nominate by the collector as— Chairman. 2. District Education Officer— Member. 3. Assistant Director of District Education Officer— Member Secretary. 4. Principal Higher Secondary— Member”

- (ii) In existing Note shall be numbered as Number (-1) and thereafter The following Number shall be inserted namely:—
- (2) At District Level, the gradation list of Assistant Teachers shall be maintained subject group wise as Mathematics, Science, Social Science and Language (English, Hindi, Sanskrit and Urdu) separately along With one integrated gradation list of Assistant Teachers. The Subject group wise gradation list Shall be used for the subject group wise promotion on the post of teacher.
- (3) At the District and the state level, the integrated gradation list of teacher cadre shall be maintained as per the seniority on the post of Assistant Teacher.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
GEETA MISHRA, Addl. Secy.